यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ना पत्र संख्या–42/2022

ना पत्र प्रविष्टि दिनांक–01.06.2022

य दिनांक–28.11.2024

सूजी देवी पत्नि चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

न्नालाल पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

हसीलदार पीपलू

प्रतिपक्षीगण

वक्ता प्रार्थीया–श्री रामअवतार चौधरी

वक्ता अप्रार्थी संख्या 01–अनुपस्थित

वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1224 ा 0.6828 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। वादीया का उक्त आराजी में 2 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थिया व अप्रार्थी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमे प्रार्थीया का 1/2 उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर सभी का संयुक्त रूप कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। जिसका विभाजन नही हो रखा है। किन्तु अप्रार्थी । विधिवत् विभाजन कराये ही अन्य अजनबी व्यक्तियो को आराजीयात में प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे है। य करने पर आमादा है। प्रार्थिया द्वारा जब अप्रार्थी को बिना विधिवत् विभाजन के विक्रयय करने के लिए मना ा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी तथा भूमि के बिना विधिवत् विभाजन अन्य लोगो को बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग में खुद

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

रने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थिया के लिए आवश्यक हो गया की वह अपने हिस्से 1/2 का विधिवत् न कराकर अपनी पृथक जमाबंदी तेयार करा लेवे एवं अपने हिस्से की भूमि का नक्शा शीट में तरमीम करा ाकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को उसके हिस्से की आराजी से ल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उसे अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने में अप्रार्थी द्वारा मना जा रहा है। इस कारण अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है की यं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार व अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थिया को उसके हिस्से की ीयात से बेदखल नही करे। उपयोग उपभोग करने, फसल बोने–जोने व काटने में मजामहत व मदाखलत करे। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की अप्रार्थी को वाद के रण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार, अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात को बिना विधिवत् विभाजन के नही करे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। अजनबी व्यक्तियो को आराजी में प्रवेश नही करावे। ा को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल नही करे व आराजी के उपयोग उपभोग करने में मजामहत व लत नही करे। पाबन्द रहे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामिल स्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 1224 रकबा 0.6828 हैक्ट. वाके बोरखण्डी कलां में स्थित है। प्रार्थिया का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थिया प्रार्थी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात जेस पर सभी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। जिसका विभाजन हो रखा है। किन्तु अप्रार्थी बिना विधिवत् विभाजन कराये ही अन्य अजनबी व्यक्तियो को आराजीयात में प्रवेश ा का प्रयास कर रहे है। विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थिया द्वारा जब अप्रार्थी को बिना विधिवत् विभाजन के ा करने के लिए मना किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थीया को ; हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग में खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थिया के लिए आवश्यक या की वह अपने हिस्से 1/2 का विधिवत् विभाजन कराकर अपनी पृथक जमाबंदी तेयार करा लेवे एवं अपने की भूमि का नक्शा शीट में तरमीम करा लेवे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। अप्रार्थी प्रार्थिया को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उसे अपने हिस्से का ाग उपभोग करने में अप्रार्थी द्वारा मना किया जा रहा है। इस कारण अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है की वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार व अन्य किसी दिगर व्यक्ति के म से प्रार्थिया को उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल नही करे। उपयोग उपभोग करने, फसल -जोने व काटने में मजामहत व मदाखलत नही करे। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

। कर निवेदन है की अप्रार्थी को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की यं जरिये ऐजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार, अन्य दिगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित जीयात को बिना विधिवत् विभाजन के बेचान नही करे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। अजनबी यो को आराजी में प्रवेश नही करावे। प्रार्थिया को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल नही करे व आराजी योग उपभोग करने में मजामहत व मदाखलत नही करे। पाबन्द रहे।

:: आदेश ::

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। अधिवक्ता प्रार्थिया ने भूमि आराजी ख0न0 ख0न0 1224 0.6828 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां को लेकर एक वाद बाबत् तकासमा आराजीयात मय अस्थायी ज्ञा प्रस्तुत किया है। जिसका पक्षकारान् में मध्य विधिवत् तकासमा नही हुआ है। यदि उक्त प्रकरण में यी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पक्षकारान् द्वारा खुर्द बुर्द किया जा सकता है। जिससे वाद की बहुलता व ता बढेगी एवं वाद के विचारण में कई समस्याये उत्पन्न होगी। अतः प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकम नो बिन्दू प्रार्थीया के हक में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार म अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01.06.2022 ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 01 स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की बिना विधिवत् तकासमा कराये उक्त वर्णित आराजीयात को अन्य व्यक्ति को रहन, दान, बेचान, हस्तांतरण एवं खुर्द बुर्द नही करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती रखे। निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल के साथ संलग्न हो एवं नम्बर से कम हो।

(अनिल कुमार ...क)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू टोंक (राज0)

Scanned with ACE Scanner